क्रमांक 8008-5 जी0एस0-69/14496

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागीय अध्यक्ष, कमिश्नर, अम्बाला मण्डल और सभी उपायुक्त और उप मण्डल अधिकारी (सिविल) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और जिला और सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ 15 जून, 1970

विषय :—सैनिक सेवाएं कर्मचारियों के बच्चों के घोषणा पत्र/प्रमाण पत्रों की तसदीक जोकि हरियाणा राज्य में तकनीकी पेशावर संस्थाओं में दाखला प्राप्त करना चाहते हैं ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर आपको सम्बोधित करूं और यह कहूं कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार उन व्यक्तियों के घोषणा पत्र (डैक्लेरेशन)/प्रमाण पत्र जो हरियाणा राज्य के तकनीकी/पेशावर संस्थाओं में दाखिला प्राप्त करना चाहते हैं उनको घोषणा पत्रों/प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित आयुक्त/उपायुक्त/जनरल असिसटैन्टस/मैजिस्ट्रेटस श्रेणी I से तसदीक करवाने पड़ते हैं । यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि उपरोक्त प्रबन्ध बहुत सीमित है जिसके फलस्वरूप सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को दाखला प्राप्त करने में दिक्कत पेश आती है । तदनुसार इस मामले पर सरकार ने विचार करके यह फैसला किया है कि पहले से अधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त सचिव जिला सैनिक नाविक तथा हवाई बाज बोर्ड जोकि राजपत्रित अधिकारी हैं, को भी सैनिक कर्मचारियों के बच्चों से जो तकनीकी पेशावर संस्थाओं में दाखला प्राप्त करना चाहते हैं उनसे सम्बन्ध रखने वाले घोषणा पत्र/प्रमाण पत्रों को तसदीक करने का प्राधिकार दिया जावे ।

भवदीय,

हस्ता/-

उप सचिव राजनैतिक तथा सेवाएं

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 8008-5 जी0 एस0-70/14497 दिनांक चण्डीगढ 15 जून, 1970

एक-एक प्रति सेवा में सूचनार्थ भेजी जाती है :—

रजिस्ट्रार पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र, विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, रजिस्ट्रार पंजाब एग्रीकलचर विश्वविद्यालय, लुधियाना ;